(24)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1893–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–05–2016 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा, प्रकरण कमांक 22/बी–121/2015–16.

.....

1–वल्लभदास पिता मोहनलाल
2–कृष्णा बाई पति वल्लभदास
3–सुशील कुमार पिता वल्लभदास
4–श्रीमती कीर्ति लड्डा पति सुशील
5–अब्दुल हलीम पुत्र अब्दुल हमीद
निवासगण सुसनेर जिला आगर म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वाराः–कलेक्टर जिला आगर आदि

.....अनावेदक

श्री ए0आर0यादव, अभिभाषक– आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 13/7/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–05–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि कलेक्टर जिला आगर मालवा द्वारा तहसीलदार से जॉच कराई जाने पर यह पाते हुये कि ग्राम आमला नानकार तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा स्थित शासकीय भूमि पर आवेदकगण द्वारा अवैध कब्जा किया गया है । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 22/बी–121/15–16 दर्ज कर आवेदकगण को कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 10–5–2016 जारी किया गया । कलेक्टर के इसी कारण बताओं सूचना पत्र के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनकें द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण के निराकरण में आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को बिना सूचना दिये उनके पीठ पीछे जॉच की गई है ।

(2) तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई जा रही कार्यवाही के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है जो कि दिनांक 16–5–2016 को ग्राह्य की जाकर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही स्थगित की गई है । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने में त्रुटि की गई है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा झूठी शिकायत के आधार पर कार्यवाही की जा रही है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का बिना अवसर दिये कार्यवाही की जाकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, अतः न्यायहित में प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता

है कि वे आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुये उनकेद्वारा बताये गये तथ्य के संबंध में सम्पूर्ण जॉच कर प्रकरण का निराकरण करें।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर